

न्यायालय तहसीलदार जसवंतपुरा

राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हल्का गजापुरा

बनाम

मुकदमा नंबर 31/2016

गैरसायल


श्री भगवानपुरी , पुत्र तारपुरी
जाति स्वामी निवासी बिकनवास

निर्णय

दिनांक:-13.10.2016

पत्रावली पेश हुई। गैरसायल हाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गजापुरा व निरीक्षक भू.अ. जसवंतपुरा ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत 2073 में मौजा बिकनवास के खसरा नंबर 333 रकबा 0.14 हेक्टर किस्म गै.मु. गोचर में अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल ने अपने जबाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नहीं किये, जिससे यह साबित होता है कि गैरसायल द्वारा सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप कब्जा कर अतिक्रमण किया है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत संवत 2073 में मौजा बिकनवास के खसरा, नंबर 333 रकबा 0.14 हेक्टर किस्म बा.प्र.अतिक्रमी घोषित किया जाकर व अतिक्रमित रकबे से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते हैं साथ ही भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत अतिक्रमित रकबे का वार्षिक लगान 6.72 का 50 गुणा रू० 336/- अक्षरे तीन सौ छत्तीस रुपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) जसवंतपुरा पटवारी हल्का के अतिक्रमियों भौतिक रूप से बेदखल करने एवं तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु जिखा जावें निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


तहसीलदार जसवंतपुरा
तहसीलदार जसवंतपुरा

रू० 336/-

अक्षरे तीन सौ छत्तीस रुपये मात्र